उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
(उत्तराखण्ड सरकार)
संस्कृतभवनम्, दिल्ली राष्ट्रिय राजमार्ग, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार–249407

उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालय चयन योजना 2025–2026
(केवल संस्कृत विद्यालय स्तर हेतु)
<u>आवेदन पत्र पूरित करने हेतु निर्देश एवं नियम</u>

1- उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी (उत्तराखण्ड सरकार) द्वारा प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार–प्रसार एवं प्रदेश में स्थित संस्कृत विद्यालयों की स्थिति को सुदृढ़ एवं विद्यालयों को संस्कृत संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किये जाने के दृष्टिगत सचिव संस्कृत शिक्षा की अध्यक्षता में गठित कार्यकारिणी समिति से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में राज्य के तीन संस्कृत विद्यालयों को उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है।

2- योजना से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र यथा आवेदन पत्र, नियमावली, अंक विवरणिका व पत्र आदि अकादमी की वेबसाइट uksa.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं। उक्त समस्त प्रपत्र अकादमी की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं अथवा निर्धारित तिथि तक किसी भी कार्यदिवस पर अकादमी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। उचित परिणाम व आकार में आवेदन पत्र को प्रिंट करने हेतु उसे A3 साइज पेपर पर निकालें।

3- उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालय चयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न कर सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा के माध्यम से प्रतिहस्ताक्षरित/अग्रसारित करवाकर निर्धारित तिथि तक अकादमी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, अपूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्रों व बिना वांछित संलग्नकों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही चयन समिति के समक्ष चयन हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4- पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र सभी स्पष्ट संलग्नकों सहित स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/बाय हैंड के माध्यम से अंतिम तिथि तक अकादमी कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ससमय आवेदन जमा करने हेतु सभी प्रपत्र (केवल PDF फॉर्मेट) में निर्धारित तिथि तक अकादमी की अधिकारिक ई–मेल आईडी uksa2002@gmail.com व व्हट्सऐप नम्बर 9639816869 पर भी प्रेषित किये जा सकते हैं, किन्तु मूल आवेदन पत्र को सभी संलग्नकों सहित स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/बाय हैंड के माध्यम से अकादमी कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

5- अकादमी कार्यालय को निर्धारित तिथि के पश्चात् विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कदापि विचार नहीं किया जायेगा, अतः किसी भी प्रकार की असुविधा व तकनीकी त्रुटि से बचने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करने के उपरांत दूरभाष से अकादमी कार्यालय को भी सूचित करें।

6- आवेदन पत्र में चयन समिति का तात्पर्य अकादमी द्वारा गठित चयन समिति से है।

7- अकादमी को निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों व संलग्न प्रपत्रों के निरीक्षणोपरान्त त्रुटि रहित आवेदन पत्रों का विवरण तैयार कर अकादमी द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, किन्तु विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचना के असत्य/अप्रमाणिक/अपूर्ण पाये जाने पर विद्यालय के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा व इस हेतु विद्यालय का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

8- उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन हेतु उत्तरमध्यमा स्तर पर अधिकतम 150 अंक, पूर्वमध्यमा स्तर पर अधिकतम 125 अंक, प्रथमा स्तर पर अधिकतम 100 अंक व प्राथमिक स्तर पर अधिकतम 90 अंको का निर्धारण किया गया है। विद्यालयों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का चयन समिति द्वारा निरीक्षण/परीक्षण करने के उपरान्त चयन समिति द्वारा नियमानुसार दिये गये कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालयों की वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।

9- समिति द्वारा वरीयता क्रम में संस्तुत व सभी प्रपत्रों के त्रुटिरहित पाये जाने पर शीर्ष 05 उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालयों का चयन समिति के एक सदस्य एवं अकादमी के दो प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी कार्यदिवस पर भौतिक निरीक्षण किया जायेगा तथा अपनी आख्या सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- उक्तानुसार प्राप्त आख्या एवं चयन समिति की संस्तुति के आधार पर 03 उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता घोषित किया जायेगा। विजेता 03 संस्कृत विद्यालयों को नियमानुसार प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह् एवं पुरस्कार की धनराशि प्रदान की जायेगी।

11- उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालयों के चयन उपरान्त प्रथम स्थान प्राप्त विद्यालय को 1,00,000.00 रूपये, द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यालय को 75,000.00 रूपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त विद्यालय को 51,000.00 रूपये की पुरस्कार धनराशि अकादमी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न सम्बन्धित विद्यालय के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

12- चयनित उत्कृष्ट विद्यालयों द्वारा प्राप्त इस पुरस्कार धनराशि का प्रयोग विद्यालयों द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों का पालन करते हुये, विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षणिक संसाधनों यथा कम्प्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, पुस्तकालय हेतु अलमारी, पुस्तकें व बुक सेल्फ, पंखे, वॉटर कूलर कम प्यूरिफॉयर, खेल एवं सांस्कृतिक सामग्री आदि क्रय करने में किया जा सकेगा। विद्यालय द्वारा बिलों का भुगतान करने के पश्चात् क्रय की गयी सामग्री का अंकन विद्यालय की भंडारण पंजिका (स्टॉक रजिस्टर) में दर्ज करने व बिलों की छायाप्रतियाँ विद्यालय के रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखने के उपरान्त मूल बिल पंजीकृत डाक/बॉय हैंड के माध्यम से अकादमी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

13- किसी भी प्रकार के प्रलोभन, अनुचित दबाव या सिफारिश को अयोग्यता समझा जायेगा व ऐसा करने वाले विद्यालयों के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

14- आवेदन पत्र में किसी भी विद्यालय द्वारा गलत एवं भ्रामक सूचना दिये जाने पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा इसकी सूचना सचिव, संस्कृत शिक्षा को उनके संज्ञानार्थ प्रेषित की जायेगी।

15- यदि पुरस्कृत उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालय के चयन के सम्बन्ध में भविष्य में अकादमी को कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है कि विद्यालय द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा गलत सूचना प्रदान करके पुरस्कार प्राप्त किया गया है तथा अकादमी की जाँच में शिकायत सही साबित हो जाती है तो विद्यालय को पुरस्कार स्वरूप प्राप्त प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह् व पुरस्कार धनराशि अकादमी को वापस/प्रत्यर्पित करनी होगी तथा ऐसे विद्यालय को भविष्य में अकादमी की किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

16- यह योजना केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ही स्वीकृत है। आगामी वर्षों में भी इस योजना को कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही क्रियान्वित किया जायेगा, किन्तु कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में योजना को स्वतः समाप्त माना जायेगा।

17- इस वर्ष योजना का शुभारम्भ किया गया है इसलिए आवेदन पत्र में विद्यालयों से अधिकांशतः विगत तीन शैक्षिक सत्रों का विवरण मांगा गया है, किन्तु आगामी वर्षों में केवल चालू शैक्षणिक सत्र का ही विवरण मांगा जायेगा तथा उसी आधार पर प्रतिवर्ष उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालयों का चयन चयन समिति द्वारा किया जायेगा। अतः विद्यालय उक्तानुसार निरन्तर प्रयासरत रहें।

18- यदि आगामी वर्षों में इस योजना के संचालन को कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त होता है तो इस योजना के संचालन हेतु विद्यालयों के सुझाव सादर आमंत्रित है, अतः आप आवेदन पत्र के साथ विद्यालय के लेटर हेड पर अपने सुझाव भी अकादमी कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं, आगामी वर्षो में अकादमी द्वारा विद्यालयों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार करते हुये योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जायेगा।

19- इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले सभी संस्कृत विद्यालयों को अकादमी के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है तथा उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालय के चयन में नियमानुसार चयन समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा तथापि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सचिव, संस्कृत शिक्षा का निर्णय उभय पक्षों को स्वीकार होगा।

20- आवेदन पत्र भरने से पूर्व नियमावली व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

21- आवेदन पत्र भरने से सम्बन्धित किसी भी समस्या के निराकरण/जानकारी हेतु दूरभाष संख्या 9720438344 पर सम्पर्क करें।

22- **आवेदन पत्र का मुख्य पृष्ठ (पृष्ठ संख्या 01)** – आवेदन पत्र के मुख्य पृष्ठ पर आवेदन पत्र क्रमांक, कुल प्राप्तांक एवं कुल प्राप्तांक प्रतिशत चयन समिति द्वारा भरें जायेंगे। शेष विवरण विद्यालय द्वारा सुस्पष्ट रूप से स्वयं भरा जायेगा। जो लागू न हो उसे क्रास (X) कर दें।

23- **आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 02 का बिन्दु संख्या 1** – विगत तीन वर्षों क्रमशः 2022-23, 2023-24 व 2024-25 तक के पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा की परिषदीय परीक्षा के परीक्षाफल का अंकन करें। प्रति वर्ष केवल पूर्वमध्यमा स्तर हेतु अधिकतम 08 अंक व उत्तरमध्यमा स्तर हेतु अधिकतम 16 अंक (08 अंक पूर्वमध्यमा हेतु व 08 अंक उत्तरमध्यमा हेतु) के अनुसार तीन वर्षों के उत्कृष्ट परीक्षाफल हेतु अधिकतम 48 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे, किन्तु प्राथमिक एवं प्रथमा स्तर के मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों पर यह बिन्दु संख्या 1 लागू नहीं होगी व उनका मूल्यांकन तद्नुसार किया जायेगा।

24- **आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 02 का बिन्दु संख्या 2** – विगत तीन शैक्षिक सत्र पूर्व 2022-23 में विद्यालय की छात्र संख्या व तदुपरान्त शैक्षिक सत्र 2023-24, 2024-25 व 2025-26 की प्रतिवर्ष छात्र संख्या का अंकन करें, यदि किसी वर्ष विद्यालय की छात्र संख्या में वृद्धि होती है तो वृद्धि हेतु विद्यालय को प्रतिवर्ष वृद्धि के लिए 01 अंक के अनुसार अधिकतम 03 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे। छात्र संख्या में वृद्धि न होने अथवा छात्र संख्या घटने पर कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

25- **आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 02 का बिन्दु संख्या 3** – विद्यालय में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025-26 में दिनांक 15 जनवरी, 2026 तक पंजीकृत/अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुसार विद्यालय में छात्र संख्या 01 से 30 तक होने पर 01 अंक, 31 से 60 तक होने पर 02 अंक, 61 से 90 तक होने पर 03 अंक व विद्यालय की छात्र संख्या 90 से अधिक होने पर अधिकतम 04 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

26- **आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 02 का बिन्दु संख्या 4** – वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025-26 में दिनांक 15 जनवरी, 2026 तक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की औसत उपस्थिति 40% से 60% तक होने पर 1/2 अंक, औसत उपस्थिति 61% से 90% तक होने पर 01 अंक व छात्रों की औसत उपस्थिति 90% से अधिक होने पर विद्यालय को अधिकतम 02 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

27- **आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 02 का बिन्दु संख्या 5** – वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025-26 में दिनांक 15 जनवरी, 2026 तक विद्यालय में शिक्षकों की औसत उपस्थिति 40% से 60% तक होने पर 1/2 अंक, औसत उपस्थिति 61% से 90% तक होने पर 01 अंक व शिक्षकों की औसत उपस्थिति 90% से अधिक होने पर विद्यालय को अधिकतम 02 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे, इसके साथ ही शिक्षकों की विभागीय ड्यूटी, निर्वाचन ड्यूटी व परीक्षा ड्यूटी को शिक्षकों की उपस्थिति में गिना जायेगा। अतः शिक्षकों की उपस्थिति का अंकन तदनुसार ही करें।

28- **आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 03 का बिन्दु संख्या 6** – विगत तीन शैक्षिक सत्रों क्रमशः 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में विद्यालय के छात्रों द्वारा विकासखण्ड स्तर, जनपद स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने पर विद्यालय को प्रति स्तर पर केवल प्रतिभाग करने हेतु 1/2 अंक तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय में से कोई स्थान भी प्राप्त करने पर अधिकतम 01 अंक के अनुसार अधिकतम 05 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे। यदि विद्यालय के छात्रों द्वारा किसी भी खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया हो तो स्तम्भ संख्या 2 में उस खेल का नाम व जिस स्तर पर प्रतिभाग किया गया हो उससे सम्बन्धित स्तम्भ में सही का निशान अंकित करें, यदि खेल में विद्यालय ने कोई स्थान भी प्राप्त किया हो तो उस स्तर से सम्बन्धित स्तम्भ में I, II, व III स्थान का अंकन भी अवश्य करें।

29- **आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 03 का बिन्दु संख्या 7** – विगत तीन शैक्षिक सत्रों क्रमशः 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में विद्यालय के छात्रों द्वारा विकासखण्ड स्तर, जनपद स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शैक्षणिक प्रतियोगिताओं यथा सामान्यज्ञान, विज्ञान, गणित, श्लोकान्त्याक्षरी आदि में प्रतिभाग करने पर विद्यालय को प्रति स्तर पर केवल प्रतिभाग करने हेतु 1/2 अंक तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय में से कोई स्थान भी प्राप्त करने पर अधिकतम 01 अंक अनुसार अधिकतम 05 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे। यदि विद्यालय के छात्रों द्वारा किसी भी शैक्षणिक प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया हो तो स्तम्भ संख्या 2 में उस प्रतियोगिता का नाम व जिस स्तर पर प्रतिभाग किया गया हो उससे सम्बन्धित स्तम्भ में सही का निशान अंकित करें, यदि शैक्षणिक प्रतियोगिता में विद्यालय ने कोई स्थान भी प्राप्त किया हो तो उस स्तर से सम्बन्धित स्तम्भ में I, II, व III स्थान का अंकन भी अवश्य करें।

30- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 03 का बिन्दु संख्या 8</u>** – विगत दो शैक्षिक सत्रों क्रमशः 2024-25 व 2025-26 में उत्तरमध्यमा स्तर की मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय के छात्रों द्वारा अकादमी द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता/स्पर्धा में कनिष्ठ वर्ग व वरिष्ठ वर्ग में आयोजित 06-06 प्रतियोगिताओं में क्रमशः खण्ड स्तर, जनपद स्तर व राज्य स्तर में प्रतिभाग करने पर विद्यालय को प्रति वर्ग एवं प्रति स्तर पर केवल प्रतिभाग करने हेतु 1/2 अंक तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय में से कोई स्थान भी प्राप्त करने पर अधिकतम 01 अंक अनुसार अधिकतम 12 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

इसके साथ ही प्रथमा अथवा पूर्वमध्यमा स्तर की मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय के छात्रों द्वारा अकादमी द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता/स्पर्धा में कनिष्ठ वर्ग में आयोजित 06 संस्कृत प्रतियोगिताओं में क्रमशः खण्ड स्तर, जनपद स्तर व राज्य स्तर में प्रतिभाग करने पर विद्यालय को कनिष्ठ वर्ग में प्रति स्तर पर केवल प्रतिभाग करने हेतु 01 अंक तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय में से कोई स्थान भी प्राप्त करने पर अधिकतम 02 अंक अनुसार अधिकतम 12 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे। यदि विद्यालय के छात्रों द्वारा राज्य स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया गया हो तो स्तम्भ संख्या 2 में उस प्रतियोगिता का नाम व जिस स्तर पर प्रतिभाग किया गया हो उससे सम्बन्धित स्तम्भ में सही का निशान अंकित करें, यदि प्रतियोगिताओं में विद्यालय ने किसी स्तर पर कोई स्थान भी प्राप्त किया हो तो उस स्तर से सम्बन्धित स्तम्भ में I, II, व III स्थान का अंकन भी अवश्य करें, किन्तु मान्यता प्राप्त प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों पर यह बिन्दु संख्या 8 लागू नहीं होगी व उनका मूल्यांकन तद्नुसार किया जायेगा।

31- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 03 का बिन्दु संख्या 9</u>** – विगत तीन शैक्षिक सत्रों क्रमशः 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में विद्यालय के छात्रों द्वारा (आवेदन पत्र के पृष्ठ संख्या 03 के बिन्दु संख्या 6, 7 व 8 को छोड़कर) विकासखण्ड स्तर, जनपद स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अन्य प्रतियोगिताओं या शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिभाग करने पर विद्यालय को प्रति स्तर पर केवल प्रतिभाग करने हेतु 1/2 अंक तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय में से कोई स्थान भी प्राप्त करने पर अधिकतम 01 अंक अनुसार अधिकतम 05 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे। यदि विद्यालय के छात्रों द्वारा किसी अन्य प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया हो तो स्तम्भ संख्या 2 में उस प्रतियोगिता का नाम व जिस स्तर पर प्रतिभाग किया गया हो उससे सम्बन्धित स्तम्भ में सही का निशान अंकित करें, यदि उस प्रतियोगिता में विद्यालय ने कोई स्थान भी प्राप्त किया हो तो उस स्तर से सम्बन्धित स्तम्भ में I, II, व III स्थान का अंकन भी अवश्य करें।

32- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 04 का बिन्दु संख्या 10 (क)</u>** – यदि विद्यालय द्वारा स्वयं के प्रयास/अनुरोध पर समुदाय की सहभागिता यथा दान, विधायक निधि, सांसद निधि व सीएसआर फंड आदि से विगत तीन वर्षों में विद्यालय के उन्नयन हेतु भौतिक संसाधनों यथा कक्षा–कक्ष, शौचालय, चाहरदीवारी, पानी की टंकी आदि का नया निर्माण अथवा मरम्मत कार्य किया हो तो इस हेतु विद्यालय को नये निर्माण हेतु अधिकतम 02 अंक तथा मरम्मत कार्य हेतु अधिकतम 02 अंक इस प्रकार अधिकतम 04 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे, किन्तु संस्कृत शिक्षा विभाग एवं शासकीय बजट/अनुदान (विधायक निधि व सांसद निधि को छोड़कर) से किये गये निर्माण/मरम्मत कार्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

33- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 04 का बिन्दु संख्या 10 (ख)</u>** – यदि विद्यालय द्वारा स्वयं के प्रयास/अनुरोध पर समुदाय की सहभागिता यथा दान, विधायक निधि, सांसद निधि व सीएसआर फंड आदि से विगत तीन वर्षों में विद्यालय के उन्नयन हेतु शैक्षणिक संसाधनों यथा कम्प्यूटर, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, पुस्तकालय हेतु न्यूनतम 100 पुस्तक, खेल सामग्री, काष्ठोपकरण, अलमारी, बुक सेल्फ, साज–सज्जा सामग्री आदि क्रय की गयी हो तो इस हेतु विद्यालय को अधिकतम 04 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे, किन्तु संस्कृत शिक्षा विभाग एवं शासकीय बजट/अनुदान (विधायक निधि व सांसद निधि को छोड़कर) से क्रय की गयी सामग्री को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

34- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 04 का बिन्दु संख्या 10 (ग)</u>** – यदि विद्यालय में प्रौद्योगिकी संसाधन यथा विद्यालय की सक्रिय ई–मेल आईडी, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज आदि हो तो उनका विवरण अंकित करें, इस हेतु विद्यालय को प्रति प्रौद्योगिकी अधिकतम 01 अंक अनुसार अधिकतम 05 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे। जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध न हो उससे सम्बिन्धित स्तम्भ में नहीं अंकित करें।

35- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 04 का बिन्दु संख्या 10 (घ)</u>** – विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं यथा पर्याप्त कक्षा–कक्ष, पुस्तकालय (नगर निगम क्षेत्र हेतु न्यूनतम 500 पुस्तक, नगर पालिका क्षेत्र हेतु न्यूनतम 400 पुस्तक, नगर पंचायत क्षेत्र हेतु न्यूनतम 300 पुस्तक व ग्रामीण क्षेत्र हेतु न्यूनतम 200 पुस्तक वाला पुस्तकालय), पर्याप्त फर्नीचर, शौचालय (बालक व बालिका), विद्युत व्यवस्था, पेयजल सुविधा, इंटरनेट सुविधा आदि हेतु विद्यालय को प्रति सुविधा अधिकतम 01 अंक अनुसार अधिकतम 13 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे। सुविधाओं से सम्बन्धित स्तम्भ में सुविधा का न्यूनतम शब्दों में विवरण भरें।

36- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 05 का बिन्दु संख्या 11</u>** – वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में अध्यापनरत शिक्षकों की संस्कृत सम्भाषण दक्षता का अंकन करें। संस्कृत सम्भाषण में दक्ष शिक्षकों की संख्या का प्रतिशत 25% से 50% तक होने पर अधिकतम 02 अंक, 51% से 75% तक होने पर अधिकतम 04 अंक व 75% से अधिक होने पर अधिकतम 06 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

37- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 05 का बिन्दु संख्या 12</u>** – वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की संस्कृत सम्भाषण दक्षता का अंकन करें। संस्कृत सम्भाषण में दक्ष छात्रों की संख्या का प्रतिशत 25% से 50% तक होने पर अधिकतम 02 अंक, 51% से 75% तक होने पर अधिकतम 04 अंक व 75% से अधिक होने पर अधिकतम 06 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

38- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 05 का बिन्दु संख्या 13</u>** – विगत तीन वर्षों क्रमशः 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में किसी ISBN/ISSN पत्रिका/वेबसाइट/राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक समाचार पत्र में विद्यालय की उपलब्धियों के विषय में प्रकाशित लेख/समाचार के विवरण का अंकन कर, आवेदन पत्र के साथ शीर्षक सहित लेख अथवा समाचार की छायाप्रति भी संलग्न करें। इस हेतु विद्यालय को प्रतिवर्ष अधिकतम 01 अंक के अनुसार अधिकतम 03 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

39- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 05 का बिन्दु संख्या 14</u>** – विगत तीन वर्षों क्रमशः 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में विद्यालय द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये नवाचार/नवीन प्रयोगों हेतु प्रति नवाचार अधिकतम 01 अंक अनुसार अधिकतम 10 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

40- **<u>आवेदन पत्र की पृष्ठ संख्या 06 का बिन्दु संख्या 15</u>** – अधिकतम 150 शब्दों में विद्यालय द्वारा आज तक किये गये उल्लेखनीय कार्यों एव विद्यालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख करें, इस हेतु प्राथमिक एवं उत्तरमध्यमा स्तर की मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को न्यूनतम 02 अंक व अधिकतम 05 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

किन्तु प्रथमा स्तर की मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों हेतु अंक विभाजन न्यूनतम 01 अंक व अधिकतम 03 अंक तथा पूर्वमध्यमा स्तर की मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों हेतु अंक विभाजन न्यूनतम 1.5 अंक व अधिकतम 04 अंक का रहेगा।

41- आवेदन पत्र को सुलेख के साथ सुस्पष्ट भरने हेतु अधिकतम 01 अंक व संलग्न दस्तावेजों की सुस्पष्ट पठनीय छायाप्रति संलग्न करने हेतु अधिकतम 01 अंक तथा आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के अन्तर्गत अकादमी कार्यालय में जमा कराये जाने हेतु अधिकतम 01 अंक अनुसार अधिकतम 03 अंक चयन समिति द्वारा प्रदान किये जायेंगे, किन्तु आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की अनावश्यक काट–छाँट अथवा अपूर्णता अथवा वांछित संलग्नक न होने पर कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

42- उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालयों के चयन हेतु आवेदन करने वाले मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को न्यूनतम 02 अंक व अधिकतम 05 अंक अकादमी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा विवेकाधीन अपने स्तर से प्रदान किये जायेंगे, किन्तु यदि किसी विद्यालय को समिति द्वारा न्यूनतम या अधिकतम अंक प्रदान किये जाते हैं, तो समिति द्वारा उन कमियों या विशेषताओं का उल्लेख आवेदन पत्र के मुख्य पृष्ठ के पृष्ठ भाग में अंकित किया जायेगा।

43- उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालय चयन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले इच्छुक संस्कृत विद्यालय अकादमी द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों से सहमत होने की दशा में ही अकादमी कार्यालय को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे।

(प्रो0 मनोज किशोर पन्त)
सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
(उत्तराखण्ड सरकार)

संस्कृतभवनम्, दिल्ली राष्ट्रिय राजमार्ग, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार–249407

उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालय चयन योजना 2025–2026

(केवल संस्कृत विद्यालय स्तर हेतु)

अंक विवरणिका

आवेदन पत्र पृष्ठ संख्या	बिन्दु संख्या	आवेदन पत्र में भरे जाने वाला विवरण	प्राथमिक स्तर (अधिकतम अंक)	प्रथमा स्तर (अधिकतम अंक)	पूर्वमध्यमा स्तर (अधिकतम अंक)	उत्तरमध्यमा स्तर (अधिकतम अंक)
02	1	विगत तीन वर्षों में परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफल	-	-	24	48
	2	विगत तीन वर्षों में छात्र संख्या में वृद्धि का विवरण	03	03	03	03
	3	विद्यालय की छात्र संख्या का विवरण	04	04	04	04
	4	वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यालय के छात्रों की औसत उपस्थिति	02	02	02	02
	5	वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यालय के शिक्षकों की औसत उपस्थिति	02	02	02	02
03	6	विगत तीन वर्षों में खेल सम्बन्धी गतिविधियों में छात्रों की प्रतिभागिता	05	05	05	05
	7	विगत तीन वर्षों में शैक्षणिक गतिविधियों में छात्रों की प्रतिभागिता	05	05	05	05
	8	विगत दो वर्षों में संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में छात्रों की प्रतिभागिता	-	12	12	12
	9	विगत तीन वर्षों में छात्र–छात्राओं द्वारा प्राप्त अन्य पुरस्कारों का विवरण	05	05	05	05
04	10	समुदाय की सहभागिता से विगत तीन वर्षों में विद्यालय के उन्नयन हेतु किये गये कार्य	04	04	04	04
	(क)	भौतिक संसाधन				
	(ख)	शैक्षणिक संसाधन	04	04	04	04
	(ग)	विद्यालय के प्रौद्योगिकी संसाधनों का विवरण	05	05	05	05
	(घ)	विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों/सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण	13	13	13	13
05	11	विद्यालय के शिक्षकों की संस्कृत सम्भाषण दक्षता (प्रतिशत में)	06	06	06	06
	12	संस्थागत विद्यार्थियों की संस्कृत सम्भाषण दक्षता (प्रतिशत में)	06	06	06	06
	13	विगत तीन वर्षों में विद्यालय की उपलब्धियों के विषय में प्रकाशित लेख/समाचार	03	03	03	03
	14	विगत तीन वर्षों में विद्यालय द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये नवीन प्रयोग	10	10	10	10
06	15	विद्यालय के उल्लेखनीय कार्य एवं उपलब्धियाँ	05	03	04	05
-	-	आवेदन पत्र सुलेख से भरने, सुस्पष्ट संलग्नक प्रस्तुत करने व समय से आवेदन पत्र जमा करने हेतु	03	03	03	03
-	-	चयन समिति द्वारा प्रदत्त अधिकतम अंक	05	05	05	05
		चयन हेतु निर्धारित अधिकतम कुल अंक	**90**	**100**	**125**	**150**

(प्रो0 मनोज किशोर पन्त)
सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी